بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ
دفتر مجلس انصاراللہ بھارت
Office Of The Majlis Ansarullah Bharat
Mohallah Ahmadiyya Qadian-143516, Distt.Gurdaspur (Punjab) INDIA
Mob.9682536974,E-Mail :ansarullah@qadian.in KhulasaKhutba-01.04.2022 محلہ احمدیہ قادیان ۱۴۳۵۱۶ ضلع: گورداسپور (پنجاب)

क़ुर्आन के निर्देश, ऐतिहासिक संदर्भ तथा अहमदियत के ख़लीफ़ाओं के निर्देशों की रौशनी में न केवल यह साबित है, अपितु स्पष्ट नकारात्मक कथन है कि मुर्तद (इस्लमाम से विमुख होने वाले) का दंड हत्या नहीं।

सारांश ख़ुत्बः सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह अल-ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, बयान फ़र्मूदा 01 अप्रैल 2022, स्थान मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद, टिलफ़ोर्ड यू.के.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

امّا بعد فاعوذ باللہ من الشیطٰن الرجیم ۔ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۔ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۔ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ۔ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ۔ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ۔

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के बाद हुजूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया- हज़रत अबू बकर रज़ीयल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने के उपद्रवों के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी रचना सिर्रुलख़िलाफ़ः नामक पुस्तक में बयान फ़रमाते हैं कि इब्ने ख़ुलदून तथा इब्ने कसीर ने लिखा है कि बनू तै, बनू असद तुलैहा, बनू ग़तफ़ान, बन् हवाज़न, बनू सलीम नामक क़बीलों सहित पूरे अरब देश की साधारण जनता एवं विशिष्ट लोग इस्लाम से विमुख हो गए तथा उन्होंने अपनी ज़कात देनी बन्द कर दी। मुसलमानों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन तथा अपना अल्पसंख्या में होना तथा दुश्मनों का बहुसंख्या में होने के कारण ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे बरसात वाली रात में भेड़ बकरियों की होती है, अर्थात भय के कारण एक जगह एकत्र हो जाती हैं। लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ी. से कहा कि इस समय उसामा रज़ी. की सना को अपने से अलग न करें परन्तु हज़रत अबू बकर रज़ी. ने फ़रमाया कि जो निर्णय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, मैं उसे निरस्त नहीं कर सकता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन के पश्चात यदि अल्लाह हम पर अबू बकर रज़ी. के द्वारा उपकार न करता तो निकट था कि हम नष्ट हो जाते। आप रज़ी. ने हमें इस बात पर एकमत किया कि हम ज़कात की वसूली के लिए युद्ध करें तथा अल्लाह की इबादत करते चले जाएँ यहाँ तक कि मौत हमें आ ले।

सारे अरब की इस्लाम से विमुखता तथा ज़कात देने से इंकार के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी. ने उन सबके विरुद्ध लड़ाई की। इतिहास एवं सीरत की पुस्तकों में ऐसे समस्त लोगों के लिए मुर्तदीन (इस्लाम से फिर जाने वाले लोग) का शब्द उपयुक्त हुआ है जिसके कारण सीरत लिखने वाले तथा विद्वानों को ग़लती लगी कि मानो मुर्तद की सज़ा हत्या है। जबकि न तो क़ुर्आन करीम ने और न ही आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्तद का दंड हत्या बयान किया अथवा कोई अन्य दंड निश्चित किया। इसके विषय में कुछ आयतें पेश हैं-

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ सूरः अल-बक़रः 218, अनुवाद- और तुममें से जो भी अपने दीन से फिर जाए फिर इस स्थिति में मरे कि वह काफ़िर हो तो यही वे लोग हैं जिनके कर्म दुनिया में भी नष्ट हो गए तथा आख़िरत में भी और यही वे लोग हैं जो आग वाले हैं, उसमें लम्बी अवधि रहने वाले हैं। इससे भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि मुर्तद की सज़ा हत्या नहीं थी क्यूँकि यदि इसकी सज़ा हत्या होती तो यह बयान न होता कि ऐसा मुर्तद अंततः काफ़िर होकर मर जाए।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا सूरः अन-निसा 138, अनुवाद- निश्चित ही वे लोग जो ईमान लाए फिर इंकार कर दिया, फिर ईमान लाए फिर इंकार कर दिया, फिर इंकार में ही बढ़ते चले गए, अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें क्षमा कर दे और उन्हें सच्चे रास्ते की हिदायत दे।

अतः बड़ी स्पष्ट नकारात्मक बात है इसमें कि मुर्तद की सज़ा हत्या नहीं तथा यही हमारे लिट्रेचर में व्याख्या भी की जाती है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबे रह. अपने तज़मतुल क़ुर्आन में बयान फ़रमाते हैं कि यदि कोई मुर्तद हो जाए, फिर ईमान लाए फिर मुर्तद हो जाए फिर ईमान लाए तो उसका फ़ैसला अल्लाह के पास है और यदि इंकार की अवस्था में मरेगा तो अनिवार्य रूप से नर्क में होगा। यदि मुर्तद की सज़ा हत्या होती तो उसक बार बार ईमान लाने तथा बार बार इंकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया कि दीन ने तो किसी भी प्रकार के दबाव का इंकार करते हुए फ़रमाया- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ सूरः अल-बक़रा 257, अनुवाद- दीन में काइ ज़बरदस्ती नहीं। निश्चित रूप से हिदायत पथभ्रष्टता से खुल कर स्पष्ट हो चुकी है, अतः जो कोई शैतान का इंकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो निःसन्देह उसने एक ऐसे सुदृढ़ कड़े को पकड़ लिया जिसका टूटना सम्भव नहीं और अल्लाह बहुत सुनने वाला तथा स्थाई ज्ञान रखने वाला है।

फिर क़ुर्आन करीम में जगह जगह मुनाफ़िक़ों (पाखंडियों) का वर्णन भी मौजूद है तथा किसी भी मुनाफ़िक़ के लिए किसी प्रकार के दंड के प्रावधान का वर्णन नहीं किया गया जबकि इस्लाम का इतिहास साक्षी है कि न ही किसी मुनाफ़िक़ को उसके पाखंड के कारण कोई दंड दिया गया। अतः मुनाफ़िक़ों का वर्णन करते हुए क़ुर्आन करीम कहता है कि-

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ सूरः अल-तौबा, 53 एव 54

अनुवाद- तू कह दे कि चाहे तुम इच्छापूर्वक ख़र्च करो चाहे अनिच्छापूर्वक, तुमसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। निःसन्देह तम एक दुराचारी क़ौम हो तथा उनके धन को स्वीकार किए जाने से उन्हें किसी चीज़ ने वंचित नहीं किया सिवाए इसके कि वे अल्लाह तथा उसके रसूल का इंकार कर बैठे थे और इसी प्रकार नमाज़ के निकट अत्यंत आलस्य के साथ आते थे तथा अत्यंत घृणा भाव अनुभव करते हुए ख़र्च करते थे।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया कि जिस पवित्र अस्तित्व पर क़ुर्आन करीम उतारा गया जो كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ की पुष्टि करने वाला अस्तित्व था, उस मुबारक हस्ती ने मुर्तद के बारे में क्या फ़रमाया।

सही बुख़ारी में लिखा है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तथा इस्लाम क़बूल करते हुए आपकी बैअत की, अगले दिन आराबी को बुख़ार हो गया वह आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मेरी बैअत मुझे वापस कर दें, फिर वह दो बार आया यहाँ तक कि तीन बार आप स. के पास आया किन्तु आप स. ने तीनों बार इंकार फ़रमाया। फिर वह आराबी मदीना से चला गया। उस व्यक्ति का आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार आना भी ज़ाहिर करता है कि मुर्तद के लिए हत्या का दंड निश्चित नहीं था, यदि ऐसा होता तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति को जो बार बार आप स. के पास आया, क्यूँ न कह दिया कि इस्लाम स विमुख हो जाने की सज़ा हत्या है यदि तुम इस्लाम से फिरते हो तो तुम्हारा वध किया जाएगा। अतः उस आराबी का बार बार इस्लाम से फिर जाने को व्यक्त करना और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार जाना और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको इस्लाम से विमुख हो जाने के परिणाम में सावधान न करना तथा न ही सहाबियों को उसकी हत्या का आदेश देना तथा अंततः बिना किसी रोक टोक के मदीने से निकल जाना, ये सारी बातें स्पष्ट रूप से इस बात के घोर साक्ष्य हैं कि इस्लाम में मुर्तद के लिए शरीअत ने कोई दंड निश्चित नहीं किया था। फिर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके निकल जाने पर एक प्रकार की प्रसन्नता अभिव्यक्त करना और फ़रमाना कि मदीना एक भट्टी की तरह है जो मैल कुचैल को पवित्र सरोवर से अलग कर देती है, स्पष्ट करता है कि आप स. इस नियम के विरुद्ध थे कि किसी को दबाव में इस्लाम पर रखा जावे।

दूसरा प्रमाण इस बात का सुलह हुदैबियः की दूसरी शर्त है जिसके अनुसार यदि मुसलमानों में से कोई व्यक्ति मुर्तद होकर मुशरिकों की ओर चला जाए तो मुशरिक उसको वापस नहीं करेंगे। इस शर्त से स्पष्ट होता है कि यदि इस्लाम से फिर जाने के लिए शरीअत में हत्या का दंड निश्चित होता तो शरई दंड के मामले में आप स. कभी भी मुशरिकों को बात को स्वीकार न करते। इनके अतिरिक्त भी कई ऐसी घटनाएँ हैं कि जिनसे स्पष्ट रूप में विदित हो जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में कुछ लोगों ने दीने इस्लाम से विमुखता दिखाई किन्तु केवल विमुख हो जाने के कारण उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया जब तक कि उन्होंने लड़ाई अथवा विद्रोह जैसे बुरे काम न कर दिखाए।

इन क़ुर्आन की आयतों तथा आदेशों की रोशनी में यह तो साबित हो गया कि मुर्तद की सज़ा हत्या नहीं है, अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि मुर्तद की सज़ा हत्या नहीं तो हज़रत अबू बकर रज़ी. ने मुर्तदों की हत्या का आदेश क्यूँ दिया?

यथार्थ यह है कि आप रज़ी. के दौर में मुर्तद होने वाले केवल मुर्तद ही नहीं थे बल्कि वे भयानक इरादों वाले विद्रोही थे जिन्होंने केवल मदीना राज्य पर हमला करके मुसलमानों का वध करने के भयानक योजनाएँ नहीं बनाईं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर अति निर्दयता से हत्या की जिसके कारण सुरक्षा तथा बदला लेने की कारवाई के रूप में इन लड़ने वालों से युद्ध किया गया और وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (अश्शूराः 41) और बदी का बदला, की जाने वाली बदी के बराबर होता है के अंतर्गत उनको भी वैसी ही सज़ाएँ देकर वध करने के आदेश पारित किए गए जैसे अत्याचार उन्होंने किए थे।

अल्लामा तबरी लिखते हैं कि जब हज़रत अबू बकर रज़ी. ने विभिन्न हमला करने वाले क़बीलों को हरा दिया तो बनू जुबयान तथा अबस नामक क़बीलों ने मुसलमानों पर हमला किया तथा जो मुसलमान उनमें रहते थे उनको हर तरीक़े से मारा तथा उनके बाद अन्य जातियों ने भी ऐसे लोगों की हत्या कर दी जो इस्लाम पर जमे हुए थे।

अल्लामा ऐनी जिन्होंने सही बुख़ारी की व्याख्या लिखी है कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी. ने ज़कात देने से इंकार करने वालों के साथ केवल इस लिए युद्ध किया क्यूंकि उन्होंने तलवार के द्वारा ज़कात रोकी तथा मुस्लिम उम्मत के विरुद्ध लड़ाई की। इमाम ख़त्ताबी ने लिखा है कि उनको मुर्तद केवल इस लिए कहा गया कि ये लोग इस्लाम से फिर जाने वालों के दल में शामिल हो गए थे।

इतिहास के संदर्भों का सारांश यही है कि ऐसे मुर्तद शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, शासन की सम्पत्ति को लूटने, मुसलमानों का वध करने तथा उन्हें जीवित जलाने के कारण हत्या के दंड को भोगने के अधिकारी हो चुके थे, जैसा कि क़ुर्आन पाक फ़रमाता है कि إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (अल-मायदाः 34)
अनुवाद- निःसन्देह उन लोगों का प्रतिफल जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं तथा धरती पर उपद्रव फैलाने का प्रयत्न करते हैं, यह है कि उनका कठोरता पूर्वक वध कर दिया जाए अथवा सूली पर चढ़ाया जाए अथवा उनके हाथ और पाँव विपरीत दिशाओं से काट दिए जाएँ अथवा उन्हें देश निकाला दे दिया जाए।

हुज़ूरे अनवर ने फ़रमाया कि शेष इन्शाअल्लाह आगे बयान किया जाएगा।

हुज़ूरे अनवर ने अंत में मुकर्रम बशीर शाद साहब, रिटायर्ड मुरब्बी सिलसिला वर्तमान निवास अमरीका, मुकर्रम राणा मुहम्मद सिद्दीक़ साहब सियालकोट और मुकर्रम डा. महमूद अहमद ख़्वाजा साहब इस्लामाबाद का सद्वर्णन तथा जमाअत की सेवओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन फ़रमाया और जुम्अः की नमाज़ के बाद इन सबकी नमाज़े जनाज़ा ग़ायब पढ़ाने का ऐलान भी फ़रमाया।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.